न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 37/2023

उनवान

राजेश कंवर पत्नी महिपाल सिंह राजपूत निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा

– प्रार्थिया

बनाम

1–2 केलाश, बाली पिता देबीलाल खारोल निवासी कल्याणपुरा(सुरली) तहसील शाहपुरा
3– पानी पत्नी देबीलाल खारोल निवासी कल्याणपुरा(सुरली) तहसील शाहपुरा
4–6 हाथीराम, धन्ना, नाना पिता रामा खारोल निवासी कल्याणपुरा(सुरली) तहसील शाहपुरा
7– शालिनी कंवर पत्नी भूपेन्द्र सिंह राणावत निवासी नया बस स्टैण्ड पार्क के सामने शाहपुरा
8– भरतसिंह पिता भूपेन्द्र सिंह राणावत निवासी नया बस स्टैण्ड पार्क के सामने शाहपुरा
9– लादू पिता हमीरा चमार निवासी संतोषपुरा कादीसहना तहसील शाहपुरा
10– कालू पिता छोटू चमार निवासी संतोषपुरा कादीसहना तहसील शाहपुरा
11– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री योगेन्द्र सिंह भाटी
अधिवक्ता प्रार्थिया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 12.06.2023

प्रार्थिया की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **कादीसहना पटवार हल्का कादीसहना** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 1954 रकबा 0.25 है0, 1955 रकबा 0.25 है0** कुल किता **2** रकबा **0.50** हैक्टेयर की प्रार्थिया **खातेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थिया एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 25.04.2023 को राजस्व मंत्रालियक कर्मचारियों की सामूहिक हड़ताल होने से पत्रावली हड़ताल के पश्चात दिनांक 12.06.2023 को पेश हुई। प्रकरण के अवलोकन से विपक्षी सं0 07 का सम्मन अदम तामिल लौटा जिसके विरूद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं चाहने से विपक्षी सं0 07 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गयी। **विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 6, 8 लगायत 11**के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हो चुके है। किन्तु बावजूद सूचना के आज दिनांक तक उपस्थित नहीं हुए है न ही उनकी तरफ से आज दिनांक तक कोई प्लीडर उपस्थित हुआ है। अतः **विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 6, 8 लगायत 11**के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम कादीसहना पटवार हल्का कादीसहना संवत 2076 से 2079 त**क का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थिया के खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहती है। अतः **प्रार्थिया** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **कादीसहना** में स्थित प्रार्थिया की उपरोक्त **खातेदारी** की आराजीयात् किता **2 रकबा 0.50 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 500/– रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थिया से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफ़सील दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **12.06.2023** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा(भीलवाड़ा)राज.

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा